इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771
Email – sanchi13a@gmail.com

कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा सूचना

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से ई–निविदा के माध्यम से दिनांक **08.07.2025** तक दरें आमंत्रित की जाती है। कार्य अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।) निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी. डी.एफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 500/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते है। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाईट के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक **2540** दिनांक **13-06-2025** **ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. – 500.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर के संचालन हेतु ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2025 - 2028

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

((कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र))

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक अंतिम तिथि एवं समय।	–	08.07.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा **(ऑनलाईन)** जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	–	08.07.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
(3)	ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	–	09.07.2025 दोपहर 1:00 बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	–	रू. **50,000/–** **(अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र)**
(5)	कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी पार्लर संचालनकर्ता हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	–	प्रपत्र 01
(6)	साँची पार्लर संचालनकर्ता की सामान्य तकनीकी शर्ते	–	प्रपत्र 02
(7)	साँची मिल्क पार्लर हेतु ई–निविदा प्रपत्र **(निविदाकर्ता का परिचय)**	–	प्रपत्र 03
(8)	रू. 100/– के नॉन ज्युडिशियल नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र	–	प्रपत्र 04
(9)	अनापत्ति प्रमाण पत्र	–	प्रपत्र 05
(10)	वित्तीय बीड **(केवल ऑनलाईन)**	–	प्रपत्र 06
(11)	अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	–	प्रपत्र 07

-X-

प्रपत्र क्रमांक – 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा बड़वानी में स्थित कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक -------------- को विभिन्न समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ, कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	वर्तमान में दुग्ध संघ मे कार्यरत दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ के दुग्ध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा दुग्ध संघ से भी एन.ओ.सी. प्राप्त कर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. हेतु **प्रपत्र क्र. 05 संलग्न है।**	
7.	निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस के पंजीयन की प्रति संलग्न करना होगी।	
8.	विगत दो वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का इन्कम टेक्स रिर्टन I.T.R. संलग्न करें।	
9	निविदाकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
10	एमपीसीडीएफ के भंडार–क्रय नियम की उपकण्डिका क्र. 8.04 के अनुसार ''यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।'' तदाशय का रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकि विवरण के साथ संलग्न करें। **संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।**	
11	जी.एस.टी. नंबर की प्रति संलग्न करें।	
12	रू. 50,000/– की ऑनलाईन जमा की गई राशि की प्रति संलग्न करें।	
13	निविदाकार को निविदा भरते समय स्वयं की बैंक (जिसमें खाता संचालित हो) के बैंक प्रबंधन से **Solvancy Certificate** प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी स्वप्रमाणित कर ऑन लाईन प्रस्तुत करें। तकनीकि बिड मे चाहे गए वांछित दस्तावेज कम पाये जाने की दशा मे संबंधित निविदाकर्ता की निविदा अमान्य घोषित होगी।

हस्ताक्षर — — — — — — — — — —
नाम — — — — — — — — — —
पता — — — — — — — — — —
दूरभाष/मोबाईल नम्बर — — — — — — — — — —

प्रपत्र क्रमांक – 02

साँची पार्लर संचालन की नियम एवं शर्तें

1. निविदा के साथ निविदाकर्ता को अपना स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. **ऑनलाईन राशि रू. रूपये 50,000 (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जावेंगे।**

3. **सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 50,000/– (अक्षरी राशि रू. पचास हजार मात्र) नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में 07 दिवस में जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि रूपये 50,000/– (अक्षरी रूपये पचास हजार) का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल एक लाख रूपये पार्लर संचालक की प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

(3.1) आवंटन की दशा में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रू. 1,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एक माह में निष्पादित करना अनिवार्य है। **अनुबंध का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 07 पर संलग्न है। जो कि कार्य आवंटन के पश्चात सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निष्पादित करना होगा।**

(3.2) **शर्त क्रमांक (3.1) से (3.2) तक 07 दिवस में अर्हताऐं पूरा न करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के पास निहित होगा।**

3. **निविदाकारों में से साँची पार्लर संचालन हेतु चयन प्रक्रिया का आधार अधिकतम किराया राशि ऑफर (H-1) के आधार पर किया जावेगा। समान दरें प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जावेगा।**

4. सफल निविदाकार को साँची पार्लर का वार्षिक किराया प्रतिवर्ष एक बार में ही दुग्ध संघ में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।

5. निविदाकर्ता को दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा।

6. जमानतदार द्वारा जमानत देने पर यदि साँची पार्लर संचालनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा।

7. निविदा स्वीकृति के उपरांत साँची पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा साँची पार्लर संचालनकर्ता कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु अनुबंध की अवधि में बढ़ोत्तरी किसी भी पक्ष के लिये अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ द्वारा साँची पार्लर संचालनकर्ता कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।

8. साँची पार्लर का आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि पार्लर संचालनकर्ता उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रू. 1,00,000/– लाख (अक्षरी राशि रू. एक लाख मात्र) का रिफन्ड लेने के पूर्व पार्लर संचालनकर्ता को प्रभारी विपणन मार्ग पर्यवेक्षक/सम्बन्धित वितरक से क्रेट्स, बकाया राशि संबंधी नोड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।

9. विद्युत/पानी एवं अन्य व्ययों का रखरखाव एवं भुगतान साँची पार्लर संचालनकर्ता द्वारा किया जावेगा। साथ ही पार्लर स्थल का अनुचित उपयोग नही करेंगे, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं हाईजीन रखना होगा। वर्ष मे न्यूनतम एक बार पार्लर की रंगाई, पुताई एवं पेंटिंग सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।

10. दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थो की शेल्फ–लाइफ सीमित होती है। इसलिए पार्लर पर दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिन तक का ही दुग्ध पदार्थ उपभोक्ताओं को विक्रय निर्धारित दरों पर प्रदाय करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा।

11. **साँची पार्लर का रख–रखाव एवं कम से कम 300 लीटर क्षमता के पर्याप्त संख्या में डीप फ्रीजर उत्पादों के शीतलीकृत रखने/भण्डारण हेतु व्यवस्था पार्लर संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि होने पर क्षमता अनुसार पृथक से डीप फ्रीजर की व्यवस्था करनी होगी।**

12. सफल निविदाकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित साँची पार्लर संचालनकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में पार्लर संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी पार्लर संबंधी समस्त लेनदारी–देनेदारी का निराकरण करेगा।

13. साँची पार्लर से केवल साँची ब्रांड के दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद एवं आईसक्रीम के ही विक्रय करेंगे। इसके अतिरिक्त पार्लर संचालनकर्ता द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालनकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की जावेगी। पार्लर संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त किए

गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता पार्लर संचालनकर्ता द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।

14. **साँची पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के अधिकृत दूध, घी एवं दुग्ध उत्पाद आईसक्रीम अपकन्ट्री वितरक के माध्यम से रिटेलर दर पर प्रदाय किया जावेगा। द्वितीय पक्ष, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग अपकन्ट्री वितरक को देंगे तथा अग्रिम राशि अपकन्ट्री वितरक को R.T.G.S. के माध्यम से भुगतान करेंगे।**
15. दुग्ध संघ द्वारा साँची पार्लर संचालनकर्ता को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर मासिक रूप से दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना साँची पार्लर संचालनकर्ता को अनिवार्य होगा। समय–समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नही करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।
16. **दुग्ध संघ के अधिकारी साँची पार्लर का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे तथा दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिवस तक का ही प्रदाय उपभोक्ताओं को करना होगा। सभी उत्पाद निर्धारित तापमान पर भंडारण करना होगा, किसी भी दशा मे डेयरी फैक्ट्री से सीधे प्रदायगी नही होगी। सभी उत्पाद वितरक के माध्यम से लेना होगा। वितरक को अग्रिम भुगतान करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक साँची पार्लर खुला रखना होगा। उपभोक्ताओं से मधुर व्यवहार रखना होगा।**
17. सफल निविदाकर्ता द्वारा साँची पार्लर से एक्सपायरी दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय नही करेंगे। निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाए जाने पर शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
18. पार्लर संचालक के कार्य की समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचंयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
19. **दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) दर पर ही पार्लर संचालनकर्ता दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा संचालनकर्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, दुग्ध पदार्थ, घी एवं आईसक्रीम आदि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5,000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन पार्लर संचालनकर्ता को करना होगा। उक्त कार्य की पुनर्रावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।**
20. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

21. साँची पार्लर संचालनकर्ता किसी भी स्थिति में पार्लर का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को नही करेंगे। पार्लर का मालिकाना हक इन्दौर दुग्ध संघ का रहेगा।

22. साँची पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी। साँची उत्पादों की भाव सूची अनिवार्य रूप से लगाना होगी।

23. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

24. प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही ये निर्देश भी अनुबंध का भाग माने जाऐंगे।

25. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर का न्यायालय में रहेगा।

26. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित साँची पार्लर आवंटन की सामान्य शर्ते भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

27. पार्लर संचालनकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर ग्राहकों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों के वाहनों से यातायात बाधित न हो अन्यथा इसके लिए पार्लर संचालनकर्ता जिम्मेदार होगा।

28. **साँची पार्लर हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू. 24,000/– (चौबीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन साँची पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।**

29. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

30. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र. (03) एवं (04) रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्र. 05 दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकि विवरण प्रपत्र क्र. 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की सामान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है, यदि भविष्य में मेरे प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते है तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे द्वारा दुग्घ संघ के समस्त निर्देशो का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम – ....

पता

....

मोबाईल नम्बर ....

प्रपत्र क्रमांक – 03

कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो लगावें

1. निविदाकर्ता का नाम–...
2. पिता/पति का नाम– ....
3. शैक्षणिक योग्यता– ....
4. स्थाई पता– ....

....

5. ई–मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें – ....

(आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)

6. पत्र व्यवहार का पता– ....
(दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)

7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य– ....
व्यवसाय स्थान का पता – ....
(दूरभाष नंबर सहित)

8. वित्तीय स्थिति– ....
साँची पार्लर संचालन हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की व्यवस्था– हाँ/नही

9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता– ....
....

2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता– ....

साँची पार्लर आवंटन हेतु निविदा के संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र क्रमांक – 04

(रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पे प्रस्तुत करें)

1. **"यह कि, मुझे यदि किसी भी निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो निविदा हेतु मैं अपात्र रहूँगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।"**

2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान मे किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरूद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/चल रहा है।

यदि उपरोक्त मे से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है, तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु हम अपनी सहमति देते है।

गवाह :

(1) नाम ....

पता ....

आधार कार्ड नं. ....

मोबाईल नम्बर ....

(2) नाम ....

पता ....

आधार कार्ड नं. ....

मोबाईल नम्बर ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

मोबाईल नम्बर ....

प्रपत्र क्रमांक – **05**

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स .... वर्तमान में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के साथ .... के रूप में कार्यरत् है तथा आज दिनांक .... तक की स्थिति में श्री/श्रीमती/मेसर्स .... की तरफ इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर एवं .... संबंधित दुग्ध संघ से की कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

जारी दिनांक ....

प्रबंधक

दुग्ध संयंत्र बड़वानी/सेंधवा

वित्तीय बीड (केवल ऑन लाइन भरें)

(केवल अवलोकन हेतु)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी ई–निविदा में कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर संचालित करने के लिए मैं/हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ :–

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	इन्दौर सहकारी दुग्ध द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी में साँची पार्लर संचालन कार्य हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रू. (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
अंकों में	**रू. ....** **(केवल ऑन लाइन अंकित करें)**
शब्दों में	**रू..** **(केवल ऑन लाइन अंकित करें)**

नोट–

- ✓ **साँची पार्लर के संचालन हेतु दुग्ध संघ न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू. 24000.00 (अक्षरी राशि रू. चौबीस हजार मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन साँची पार्लर संचालन कार्य हेतु किया जाएगा।**
- ✓ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकर्ता तद्नुसार दरें प्रस्तुत करें।
- ✓ वार्षिक किराया राशि केवल ऑन लाइन माध्यम से ही भेजा जाए और भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- ✓ निविदाकार द्वारा अंकों में शब्दों में दोनों अनिवार्यतः दरें प्रस्तुत की जाये। यदि अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरें मान्य की जावेगी।

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप (रू. 1,000/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर)

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु .... पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री .... आयु ....वर्ष, निवासी .... (जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन निष्पादित किया जाता है:–

1. (अ.) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर साँची पार्लर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया है।

(ब.) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु बाध्य होगा।

(स) यह कि अनुबंध नियुक्त तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष .... की दिनांक 31.03 तक की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च ....तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस कार्य आवंटन निरस्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

(इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में साँची पार्लर स्ट्रक्चर को हटाकर स्थान का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा दुग्ध संघ के अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह साँची पार्लर का कब्जा कर ले। इस हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

(उ) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयो के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

(ऊ) समस्त विवादो के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र इन्दौर ही होगा।

2. (अ) यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।

(ब) यह कि अमानत राशि से साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

(स) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियो की रूपये **25,000/–**...................... प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामें भी इस इकरारनामे के जमानतदारो पर बंधनकारक होंगे।

(द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि वापसी के आवेदन करने पर संबंधित प्रबंधक दुग्ध संयंत्र बड़वानी/सेंधवा एवं सम्बन्धित वितरक से नो–ड्यूज़ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सिक्यूरिटी वापस की जाएगी।

(ई) द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे। अपने व्यय से बनवाकर कार्य आदेश प्राप्ति के पूर्व अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।

3. (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस साँची पार्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना होगा।

समय	**से**	**समय**
प्रात : .... बजे	**से**	**.................... बजे**
सायं. .... बजे	**से**	**.................... बजे**

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका डिपो/साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तद्नुसार ही साँची पार्लर खोलना होगा।

(स) उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(द) एजेन्ट को दोनो समय सुबह–शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

4. (अ.) यह कि साँची पार्लर जिसे द्वितीय पक्ष स्वयं के व्यय से दुग्ध संघ के निर्धारित डिजाइन एवं साइज़ अनुसार निर्माण करेगा, जिस स्थान पर रखी गई है उस स्थान का आधिपत्य प्रथम पक्ष एवं जिलाधीश महोदय, इन्दौर का होगा। यद्यपि पार्लर स्ट्रक्चर का स्वामित्व द्वितीय पक्ष का ही रहेगा, परन्तु द्वितीय पक्ष उक्त पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साँची पार्लर या भूमि के हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करते पाए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर स्थान का कब्जा ले लिया जाएगा।

(ब) यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा ।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

(द) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय अनुसार द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।

(इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नही किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समानतर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।

(ई) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(उ) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे। दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय–समय पर पार्लर का निरीक्षण किया जाएगा।

5. (अ) प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।

(ब) क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओ से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओ से लेन–देन की समस्त जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशो के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे। निर्धारित उपभोक्ता दरों (एम.आर.पी) से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

(द) प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओ के तहत उपभोक्ताओ के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण रूपये इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओ में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस र्कायवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओ को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

(इ) पार्लर एजेंट द्वारा दुग्ध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नही दी जावें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि जमा करना अति–आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।

6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जबावदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही रहेगी।

8. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो प्रचार–प्रसार सामग्री भविष्य में उपलब्ध कराई जाएगी एवं केन, क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट/नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।

9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

10. पार्लर आवंटन होने के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जानकारी अथवा दस्तावेज भविष्य में असत्य पाए गए तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात।

11. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिए गए पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।

14. यह कि इस अनुबंध की शर्ते व नियमो में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

15. द्वितीय पक्ष द्वारा साँची पार्लर का मासिक किराया प्रतिमाह 10 तारीख के पूर्व अग्रिम दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर कार्यालय परिसर, बड़वानी द्वारा आवंटित स्थान के अनुसार पार्लर का साईज़ 12 फीट x 13 फीट होगा।

16. **आवेदन स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालक की कार्य अवधि तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों पर पार्लर संचालन का आगामी 2 वर्षों के लिए रिन्यूअल किया जा सकेगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य उक्त अवधी में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्नआवंटन करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।**

17. द्वितीय पक्ष को कुल रूपये **रू. 1,00,000/– (अक्षरी राशि रू. एक लाख मात्र)** बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 50,000/– ई.एम.डी. के समायोजन एवं रूपये 50,000/– **आर.टी.जी.एस.** के माध्यम से जो कि ''इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर'' इन्दौर के के खाते मे जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. द्वितीय पक्ष को पार्लर में पेंटिग, बिजली बिल, डी–फ्रीजर की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

19. द्वितीय पक्ष आवंटित पार्लर में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का विक्रय नही करेगा और ना ही बीड़ी, गुटका, तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करेगा अन्यथा इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

20. द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का विक्रय एवं रू. 1,000/– के दुग्ध उत्पाद विक्रय लक्ष्य प्रथम तीन माह की अवधि में प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि प्राप्त करनी होगी, दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये पार्लर संचालक को मान्य व स्वीकार होंगे।

21. द्वितीय पक्ष की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

22. साँची पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के अधिकृत दूध, घी एवं दुग्ध उत्पाद आईसक्रीम अपकन्ट्री सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक के द्वारा साँची दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद रिटेलर दर पर प्रदाया किया जावेगा। द्वितीय पक्ष दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग अपकन्ट्री सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को देंगे तथा अग्रिम राशि अपकन्ट्री सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक को भुगतान करेंगे।

23. द्वितीय पक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेगें, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगें तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।

24. द्वितीय पक्ष, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेटस/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

25. यह अनुबंध दोनो पक्षो के अधिकृत वारिसो पर भी लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु.. को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

26. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले पत्र/परिपत्र, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 में वर्णित नियम एवं शर्ते इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत

प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा। किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

27. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (इन्दौर दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो को उभय पक्षो ने पढ़कर, समझ ली है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक ....

गवाहः

1 हस्ताक्षरः–
नाम ....
पता..

हस्ताक्षर
1. प्रथम पक्षकार

2 हस्ताक्षरः–
नाम ....
पता..

हस्ताक्षर
2. द्वितीय पक्षकार

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व .... आत्मज श्री .... आयु .... मे है कि, कार्यालय .... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .... आयु .... निवासी .... के बीच आज दिनांक ....को पार्लर हेतु अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये **रूपये 25,000/– (अक्षरी रूपये पच्चीस हजार)** तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर हेतु अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक .... को लिख दिया है।

गवाह :	**जमानतदार**
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पता	पता ....
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर ....

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व .... आत्मज श्री .... आयु .... मे है कि, कार्यालय .... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .... आयु .... निवासी .... के बीच आज दिनांक ....को पार्लर हेतु अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये **रूपये 25,000/– (अक्षरी रूपये पच्चीस हजार)** तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर हेतु अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक .... को लिख दिया है।

गवाह :	**जमानतदार**
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पता	पता ....
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर ....

शपथ पत्र

मैं .... आत्मज श्री .... आयु .... निवासी – .... शपथपूर्वक यह कथन करता/करती हूँ कि :–

1. मैंने आज दिनांक .... को यह अनुबंध करार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित इन्दौर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र में प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता...............................

सत्यापन

मैं .... सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक .... को .... में किया गया।

शपथग्रहिता.............................